न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—482/2019/225 (2019/00482)

1. रामस्वरूप पुत्र भूरा, जाति बलाई, निवासी स्यार, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती पुष्पेन्द्र कंवर, सरपंच, ग्राम पंचायत स्यार, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सरबाड़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ दिनांक 30.10.2019 अंतर्गत प्रकरण संख्या 05/2017.

उपस्थितः—

1. श्री मंगलाराम चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 अनुपस्थित ।
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 1.

निर्णय

दिनांकः— 20.7.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के आदेश दिनांक 30.10.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम स्यार तहसील सरवाड़ में स्थित आराजी खसरा नंबर 1300, 1302 श्मशान की आराजी है जो राजस्व रिकार्ड में भी सरकार के नाम दर्ज है । उक्त श्मशान आराजी पर आने जाने हेतु उत्तरी मेड़ के सहारे—सहारे खसरा नंबर 1693/1297 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा का है जिसका उपयोग ग्रामवासियान श्मशान तक आने जाने में करते है । उक्त रास्ते को अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 ने बंद कर दिया व खुर्द बुर्द कर दिया है । उक्त रास्ता खातेदारी आराजी मे है जो वर्षो से श्मशान आराजी के अलावा श्मशान भूमि पर जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है और राजस्व रिकार्ड मानचित्र में कोई रास्ता अंकित नहीं है । उक्त रास्ते को खुलवाने हेतु सरंच ग्राम पंचायत स्यार व ग्रामवासी दिनांक 12.6.2019 को मौके पर गये तब अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 ने रास्ता देने से इंकार कर दिया इसलिये ग्राम स्यार के साबिक खसरा नंबर 1693/1297 में से श्मशान आराजी के आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता नियमानुसार दिलाया जावे । अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 30.10.2019 को प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ते के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि सरपंच ग्राम पंचायत स्यार ने राजनैतिक द्वैषतावश गरीब कमजोर व्यक्ति को हैरान, परेशान करने के उद्देश्य से झूंठा व मनगंढत प्रकरण बनाकर उपखण्ड टधिकारी के समक्ष पेश किया क्योंकि ग्राम स्यार के श्मशान में आने जाने के लिए अपीलांट की आराजी पर किसी प्रकार का कोई रास्ता मौके पर न तो वर्तमान में है और ना ही पूर्व में था । सरपंच ग्राम पंचायत ने उक्त श्मशानों की आराजी पर जाने रास्ते का प्रकरण पेश करने से पूर्व ग्राम पंचायत की बैठक में व ग्राम पंचायत के प्रस्ताव में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया है । रेस्पो0 संख्या 1 ने श्मशान की आराजी पर जाने के लिए मौके पर चालू रास्ते के खातेदारों को बिना पक्षकार बनाये व वर्तमान में जहां रास्ता है, उक्त तथ्य को छिपाकर अधी0न्याया0 के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया था जो अपूर्ण होकर काबिल निरस्तनीय था, किन्तु अधी0न्याया0 ने प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 के प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने उक्त प्रकरण में अपने स्तर पर विवादित आराजी पर आवागमन हेतु वर्तमान में उपलब्ध लघुतम/दीर्घतम मार्ग का प्रस्तावित आराजी पर चाहे गये मार्ग का विवरण, मार्ग हेतु कितना रकबा चाहा गया है उक्त रकबे की डी0एल0सी0 दर से राशि चाहे गये मार्ग में किन–किन खातेदारों की जमीन ली जानी है, का किसी प्रकार से जांच तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाये बिना केवल अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर आई मौका रिपोर्ट के बाहर जाकर रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजी बाबत् अपीलांट के प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 26 नियम 9 जा0दी0 पर मंगाई गई रिपोर्ट में रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में क्लेम किये गये अनुतोष से विपरीत रिपोर्ट आई थी ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 को रेस्पो0 संख्या 1 के आवेदन पर विधिवत् आदेश पारित करना चाहिये था किन्तु उन्होंने अपने में निहित अधिकार क्षैत्र का प्रयोग किये बिना आदेश अंतर्गत अपील पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस बात पर गोर नहीं किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ने विरोधाभाषी कथन करते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया है । एक तरफ तो रेस्पो0 ने रास्ता मौके पर वर्षो से चालू होना बताया है वहीं दूसरी तरफ उक्त रास्ते को अपीलांट द्वारा बंद करना बताया है । यदि रास्ता मौके पर चालू है और बंद कर दिया गया है तो उक्त बंद रास्ते को खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 राज0काश्त0अधि0 के तहत तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये था । धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के तहत रास्ता उसी स्थिति में दिया जाता है जब रेस्पो0 के खातेदारी पर जाने के लिए कोई मौके पर रास्ता मौजूद नहीं हो जबकि उक्त प्रकरण में रेस्पो0 संख्या 1 व ग्रामवासियान को श्मशान आराजी पर जाने के लिए अन्य पड़ौसी खातेदारों जगदीश, रोडू पिता रेवता गुर्जर के खेत साबिक खसरा नंबर 1713 की मेड़ पर रास्ता मौजूद व चालू है । अधी0न्याया0 ने इस बात पर गोर नहीं किया कि गिरदावर व पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 21.10.2019 में कांट–छांट कर रिपोर्ट के अंतिम लाईन में ग्राम स्यार के हाल खसरा नंबर 1716 के अलावा श्मशान पर जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, उक्त कांट–छांट कर मौका रिपोर्ट में दर्ज अंकन को आधार बनाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्त रेस्पो0 संख्या 2 ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । खसरा नंबर 1300 व 1302 श्मशान भूमि है । श्मशान भूमि में वर्षो से आवागमन हेतु खसरा नंबर 1693/1297 रकबा 2–10–00 बीघा की उत्तरी मेड़ के सहारे स्थित रास्ते का उपयोग ग्रामवासियान करते रहे है। श्मशान भूमि में आवागमन हेतु उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का एवं गिरदावर से मौका रिपोर्ट तलब की है । तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में खसरा नंबर 1716 के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता श्मशान की आराजी हेतु उपलब्ध नहीं होना बताया है । उक्त रिपोर्ट में श्मशान भूमि की तीन तरफ पानी भरे होने का भी अंकन किया है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा आराजी खसरा नंबर 1300 व 1302 श्मशान भूमि के लिए अपीलांट की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1716 में 20 फीट रास्ते के लिये आवेदन किये जाने पर अधी0न्याया0 ने प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट की आराजी संख्या 1716 में रास्ते के आदेश पारित किये है । राजस्व रिकार्ड में खसरा नंबर 1300 व 1302 श्मशान के रूप में दर्ज है । ग्राम पंचायत/रेस्पो0 संख्या 1 ने श्मशान भूमि में रास्ते का अनुतोष चाहा था । धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के तहत खातेदार कृषक की आराजी में काश्त करने, जोत तक कृषि यंत्रों को लाने ले जाने हेतु रास्ता दिये जाने का प्रावधान है । धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत क्या श्मशान भूमि हेतु रास्ता दिये जाने का प्रावधान है यह बिन्दु विचारणीय था । किन्तु अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में इस संबंध में कोई विवेचन नहीं किया है। इस विधिक बिन्दु पर हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का पुनः परीक्षण कराया जाना न्यायोचित एवं उचित समझते है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2019 निरस्त किया जाता है तथा उपरोक्त विवेचन के क्रम में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 20.7.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर